



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 76 of 2024

Sub: Delegation of powers in Public Relations Directorate of Board's Office.

Ref: Office Order No. 55 of 2022

In supersession of Board's Office Order No. 68 of 2022, the **item no. 4 at Annexure-I of Office Order No. 55 of 2022** is partially modified with respect to delegation of powers to EDIP & DPR and would be read as under:

S.No.	Subject	Revised Power
4 (Annexure-I of O.O.55/2022)	Cash imprest for hospitality, including purchase of press kit, mementoes and petty & general publicity items	The expenditure from hospitality fund at the disposal of EDIP and DG/PR shall not exceed Rs.1,50,000/- each per annum and EDIP & DG/PR may operate a cash imprest of Rs.25,000/- each for the purpose.

2. The above issues with the approval of the competent authority.

No.2024/O&M/5/1
Dated: 30.12.2024


(T.Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

EDIP

Copy to:-

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 76

विषय: बोर्ड कार्यालय के जनसंपर्क निदेशालय में शक्तियों का प्रत्यायोजन
संदर्भ: 2022 का कार्यालय आदेश सं. 55

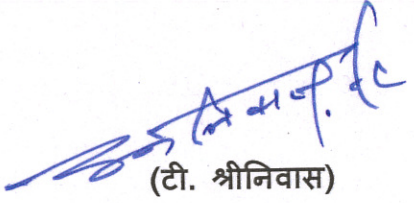
2022 के बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 68 के अधिक्रमण में, कार्यपालक निदेशक/सूचना एवं प्रचार और निदेशक/जनसंपर्क की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में, 2022 के कार्यालय आदेश संख्या 55 के अनुलग्नक- I की मद संख्या 4 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

क्र.सं.	विषय	संशोधित शक्ति
(2022 के कार्यालय आदेश संख्या 55 का अनुलग्नक- I)	आतिथ्य के लिए नकद अग्रदाय, जिसमें प्रेस किट, स्मृति चिन्ह और छोटे और सामान्य प्रचार मर्दों की खरीद शामिल है।	कार्यपालक निदेशक/सूचना एवं प्रचार और महानिदेशक/जनसंपर्क के स्तर पर आतिथ्य निधि से प्रतिवर्ष प्रति अधिकारी का व्यय 1,50,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा तथा कार्यपालक निदेशक/सूचना एवं प्रचार और निदेशक/जनसंपर्क इस प्रयोजन हेतु 25,000/- रुपए का नकद अग्रदाय परिचालित कर सकते हैं।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/5/1

नई दिल्ली, दिनांक: 30.12.2024


(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ई मेल:-t.srinivas1@gov.in

फोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

कार्यपालक निदेशक सूचना एवं प्रचार

प्रतिलिपि प्रेषितः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर),
संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)